कार्यालय उप संभागीय परिवहन अधिकारी, पीलीभीत।

संख्याः –312 / अधि0 / स0सु0 / 2020 दिनॉकः– 26.06.2020

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा–112 के अर्न्तगत वाहनों की गति सीमा का उल्लेख किया गया है जिसके अर्न्तगत उपरोक्त धारा की उपधारा–2 में गति पर निबंधन के संबंध में राज्य सरकारों को नियम बनानें के अधिकार दिये गये है। उत्तर प्रदेश मोटरवाहन नियमावली, 1998 के नियम–178 में मोटरयान के प्रयोग एवं गति पर निबंधन के प्रावधान किये गये है जिसके अर्न्तगत **"किसी नगर निगम , नगरपालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निबंधन या सामान्यतया मोटरयानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गो के मोटरयानों के प्रयोग पर निबंधन या प्रतिषेध का ऐसा आदेश जैसा वह उचित समक्ष दे सकता है, ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और एसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहॉ से वे लागू होते है, सूचना पटटो के माध्यम से प्रकाशित किये जायेंगें।**

उक्त अधिनियम की धारा–112 उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1988 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़ कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अर्न्तगत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनॉक–06–04–2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत सन्तुष्ट होने पर प्रतिबन्धित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक दिनॉक–11.06.2019 में दिये गये जिसमें शहरी क्षेत्रों में गति पर निबंधन हेतु पुलिस विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। पुलिस के पत्र सं0–331/स0सु0/2020–44स0सु0/2017 लखनऊःदिनॉक 17 फरवरी,2020 जनपद पीलीभीत के निम्न मार्गो पर गति सीमा निर्धारित की गयी है।

गति सीमा निर्धारित किये गये मार्गों की संख्या	मार्गों का विवरण		मार्ग का नाम	निर्धारित गति सीमा
	मार्ग का प्रकार	मार्गों की संख्या		
	राष्ट्रीय राजमार्ग	1	पीलीभीत –आसाम मार्ग एन0एच0 730	40 किमी/घण्टा
		2	पीलीभीत–हरिद्वार मार्ग एन0एच0 74	40 किमी/घण्टा
	प्रादेशिक राजमार्ग	1	लिपुलेख–भिण्ड मार्ग, एस.एच. 29	30 किमी/घण्टा
	अन्य जनपदीय मार्ग	1	पीलीभीत –माधौटांडा मार्ग	30 किमी/घण्टा

उक्त के अतिरिक्त शहरी क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी ग्रामीण क्षेत्रों के राष्ट्रीय राजमार्गो/राज्य राजमार्गो/मुख्य जिला मार्गो / अन्य मार्गोपर गति के निबंधन किये जाने की कार्यवाही उत्तर प्रदेश मोटरवाहन नियमावली, 1998 के नियम–178 की व्यवस्थानुसार रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के द्वारा की जानी है। मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पीलीभीत जनपद होकर निकलने/चलने बाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मार्गो के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती हैं–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक जहां गति निबंधित रहेगी)	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 तक सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त माल यान एंव सतम्भ 4,5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्रीयान
1	**राष्ट्रीय राजमार्ग**	पीलीभीत–आसाम मार्ग एन.एच.730 (नगरीय व वन क्षेत्र को छोड़कर)	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	70 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
2	**राष्ट्रीय राजमार्ग**	पीलीभीत–हरिद्वार मार्ग एंन.एच.74 (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर)	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	70 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
3	**प्रादेशिक मार्ग**	लिपुलेख –भिण्ड मार्ग एस.एच. 29 (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर)	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
4	**जनपदीय मार्ग**	पीलीभीत–माधौटांडा–पूरनपुर मार्ग (वन क्षेत्र को छोड़कर)	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा
5	राष्ट्रीय राजमार्ग	पीलीभीत–बरेली मार्ग (पीलीभीत से शाही चौकी तक)	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	70 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
6	प्रादेशिक मार्ग	बीसलपुर–बरेली मार्ग (बीसलपुर से चुर्रा चौकी तक)	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
7	प्रादेशिक मार्ग	जहानाबाद–रिछा–बहेडी (जहानाबाद से बालपुर तक)	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
8	प्रादेशिक मार्ग	बरखेड़ा–नबाबगंज मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
9	जनपदीय मार्ग	पूरनपुर–घुंघचिहाई–बण्डा मार्ग (पूरनपुर से बलरामपुर चौकी तक)	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
10	जनपदीय मार्ग	मानपुर तिराहे से दियूरिया मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
11	जनपदीय मार्ग	पीलीभीत–भिकारीपुर–मझोला मार्ग	30 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	30 कि0मी0 प्रति घण्टा	30 कि0मी0 प्रति घण्टा
12	जनपदीय मार्ग	बीसलपुर–बिलसण्डा मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

1. मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–116 में विर्निर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनो छोर प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

2. उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली,1988 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नही होगा
   अ) अग्नि शमन वाहन
   ब) एम्बुलेंस
   स) पुलिस वाहन
   द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्धसैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।
   य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिये प्रयुक्त वाहन।

3. उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कार जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायें की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उप धारा (1) के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनॉक– 06–04–2018 समय'समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।
4. प्रथम प्रष्ठ पर तालिका में अंकित 4 मार्गो के नगरीय सीमा (शहर के अन्दर) वाहनों की गति सीमा यातायात निदेशालय द्वारा निर्धारित की गयी है, पृष्ठ दो पर अंकित तालिका के उन्हीं प्रथम चार मार्गो के नगरीय सीमा को छोडकर शेष मार्ग पर दर्शायी गयी गयी गति सीमा निर्धारित होगी।

(अमिताभ राय)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) पीलीभीत।

पृ0सं0– 312 / अधि0 / स0सु0 / 2020 समदिनॉकित–26.06.2020
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. परिवहन आयुक्त महोदय, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) महोदय, यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी महोदय, पीलीभीत।
4. पुलिस अधीक्षक महोदय, पीलीभीत।
5. निदेशक,छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करनें का कष्ट करें।
6. अधिशासी अभियन्ता ,प्रान्तीय खण्ड / निर्माण खण्ड–1 / निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग, पीलीभीत।
7. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बरेली, उ0प्र0।
8. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, बरेली।
9. अधिशासी अभियन्ता, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बरेली।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) पीलीभीत।